पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या –173 / 2024

अनवान :

जगपाल कौर पत्नी गुरतेज सिंह जाति जटसिख निवासी [illegible] टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

—वादीया

बनाम

तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

—प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा
88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति:–1 अधिवक्ता श्री सुभाषचन्द्र गर्ग —वादीया
2 राजपैरोकार

डिक्री दिनांक 4/6/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादीया श्री सुभाषचन्द्र गर्ग व राजपैरोकार अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीया साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चकनं0 3 बी.आर डबल्यू के खाता सं0 41 / 56 व चकनं0 650 आर.डी. के खाता सं0 37 / 74 में दर्ज वादीया का नाम जसपाल कौर के स्थान पर सही नाम जगपाल कौर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। अगर प्रार्थी पर कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है या कोई सरकारी देय बकाया हो तो पूर्व नाम व पता ही मान्य होगे। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 4/6/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

करण संख्या —173/2024
नवान :

जगपाल कौर पत्नी गुरतेज सिह जाति जटसिख निवासी वेहरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। वादीया

बनाम

तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादी

दावा बाबत घोशणा अन्तर्गत धारा
88 राजरस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपरिथति:—1 अधिवकता श्री सुभाषचन्द्र गर्ग :—वादीया
2 राजपैरोकार

डिक्री दिनांक 4/6/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादीया श्री सुभाषचन्द्र गर्ग व राजपैरोकार अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीया साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चकनं0 3 बी.आर डबल्यू के खाता सं0 41/56 व चकनं0 650 आर.डी. के खाता सं0 37/74 में दर्ज वादीया का नाम जसपाल कौर के स्थान पर सही नाम जगपाल कौर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। अगर प्रार्थी पर कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है या कोई सरकारी देय बकाया हो तो पूर्व नाम व पता ही मान्य होगे। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृशि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 4/6/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned with CamScanner